संख्या-118/2026/972/सैंतीस-2-2026-1(27)/2025-2012567

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-14 मई, 2026

विषयः-अनुदान संख्या-15 के अधीन बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना के संचालन हेतु गाइडलाईन्स।

महोदय,

प्रदेश में बकरी पालन पारंपरिक विधियों से न्यूनतम वैज्ञानिक विधियों एवं अवर्णित नस्लों के साथ किया जा रहा है जिससे बकरी पालकों की आय में वांछित वृद्धि नहीं हो रही है। इन परिस्थितियों में बकरी पालकों को उन्नत नस्ल की नर एवं मादा बकरियां उपलब्ध कराना, चारा उत्पादन, प्रसंस्करण, साइलेज उत्पादन एवं प्रशिक्षण के साथ साथ विपणन के उचित माध्यम उत्पन्न कराना आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश में पशुपालन विभाग के अधीन संचालित राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों एवं राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का आधुनिकीकरण किये जाने के उद्देश्य से अनुदान संख्या-15 के अधीन बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी गाइडलाइन्स निम्नवत् हैः-

## बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एवं सुदृढ़ीकरण की योजना
## दिशा-निर्देश
## (वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक)

1- योजना का नाम बकरी प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास एव सुदृढ़ीकरण की योजना

2- योजना की पृष्ठभूमि :

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने में बकरी पालन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश में 20वीं पशुगणना के अनुसार कुल 144.88 लाख बकरियाँ पाली जाती

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हैं जो देश में महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल के बाद तीसरे स्थान पर है तथा भारत देश की कुल बकरियों की संख्या का 10% है। तीस लाख से अधिक पशुपालक बकरी पालन कर रहे हैं जिनमें से 76.5% भूमिहीन, सीमान्त एवं लघु कृषक हैं। बकरी पालन का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगभग रू0-11,700 करोड़ का वार्षिक योगदान है, जो पशुपालन से होने वाली सकल मूल्य संवर्धित आय का 12.5% है। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 78.56 हजार टन बकरी मीट एवं 1,314 हजार टन बकरी दूध का उत्पादन करता है जो पोषण प्रदान करने का एक सस्ता विकल्प है एवं कुपोषण से बचाव का एक अच्छा साधन है। प्रदेश में बरबरी, जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, बीटल एवं सोनपरी इत्यादि प्रमुख बकरी नस्लों का पालन किया जाता है।

इन परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश में बकरी पालन पारंपरिक विधियों से न्यूनतम वैज्ञानिक विधियों एवं अवर्णित नस्लों के साथ किया जा रहा है जिससे बकरी पालकों की आय में वांछित वृद्धि नहीं हो रही है। इन परिस्थितियों में बकरी पालकों को उन्नत नस्ल की नर एवं मादा बकरियां उपलब्ध कराना, चारा उत्पादन, प्रसंस्करण, साइलेज उत्पादन एवं प्रशिक्षण के साथ साथ विपणन के उचित माध्यम उत्पन्न कराना आवश्यक है।

3- <u>योजना का उद्देश्य</u> :

बकरी पालन के क्षेत्र में बकरियों की अवर्णित नस्ल, कम उत्पादन क्षमता, पारम्परिक विधियों का प्रयोग, प्रजनन में चयन की कमी एवं इस क्षेत्र में उद्यमिता की कमी के कारण वांछित विकास/प्रगति नहीं हो पा रही है। उन्नत शील एवं उच्च गुणवत्ता युक्त जर्मप्लाज्म तथा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाओं की कमी, मूल्य संवर्धन एवं पारंपरिक क्षेत्रीय बाजारों पर निर्भरता से बकरी पालक इस व्यवसाय से अपेक्षित लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

फलस्वरूप बकरी पालन के क्षेत्र में अब तक आनुपातिक लाभ नहीं मिला है। इस क्षेत्र में पशुपालकों को वैज्ञानिक विधियों से बकरी पालन का प्रशिक्षण देकर, उच्च गुणवत्ता युक्त जर्मप्लाज्म की पैरेन्ट नर एवं मादा बकरे, बकरियों की क्षेत्रीय मॉग के अनुरूप उपलब्धता बढ़ाकर, नस्ल के अनुसार राशन का प्रसंस्करण कर, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण एवं चिकित्सा सुविधा बढ़ाकर, बकरी बाजार को विस्तृत रूप देते हुए बकरी उत्पादों की सकल मूल्य संवर्धन करते हुए इसे उद्यम के रूप में स्थापित कर रोजगार एवं उद्यमिता के नये अवसर पैदा किये जाने का अभूतपूर्ण अवसर है।

योजनान्तर्गत राजकीय प्रक्षेत्रों की स्थापना, बकरी प्रजाति का चयन, क्रय प्रबन्धन, प्रशिक्षण एवं भविष्य में संचालन में सुविधानुसार दुवासु, मथुरा अथवा केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मथुरा से तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग लेते हुए विकास किया जायेगा।

4- <u>योजना का स्वरूप</u> :

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इस प्रस्तावित पाँच वर्षीय योजना में प्रदेश में पशुपालन विभाग के अधीन संचालित राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों एवं राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का आधुनिकीकरण करते हुये आवश्यकतानुसार विस्तारीकरण व नये बकरी प्रक्षेत्रों के आधुनिक शेडों का निर्माण किया जाना तथा राजकीय कृषि एवं पशुधन प्रक्षेत्रों पर नये बकरी शेडों, बकरी मार्ट, प्रशिक्षण कक्ष, बकरी दूध प्रसंस्करण शेडों का निर्माण एवं इससे संबंधित भवनों का निर्माण कार्य किया जाना है। योजनान्तर्गत सम्बन्धित बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों को आगामी पाँच वर्षों में चरणबद्ध रूप से विकसित किया जायेगा। योजनान्तर्गत राजकीय प्रक्षेत्रों का निर्माण, विस्तारीकरण एवं जीर्णोद्धार तथा कार्मिकों का प्रशिक्षण, पशुधन का क्रय एवं प्रक्षेत्रों का संचालन, प्रजनन एवं चारा संसाधन विकास, उच्च गुणवत्ता युक्त पशुधन उत्पादन एवं प्रसार, पशुपालक प्रशिक्षण, डाटा निगरानी एवं शोध का कार्य किया जायेगा।

उपरोक्त प्रत्येक प्रक्षेत्र पर बजट धनराशि की उपलब्धतानुसार चयन करते हुए वर्ष दर वर्ष निर्माण कार्य एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना का कार्य किया जायेगा। स्थान एवं धनराशि की उपलब्धतानुसार, क्षेत्रीय वरीयतानुसार सर्वोत्तम नस्ल की न्यूनतम 200 अथवा अधिकतम 500 पैरेन्ट स्टाक की बकरियों एवं उनकी संतति की क्षमता तक संचालन किया जायेगा। प्रक्षेत्र पर उत्पन्न होने वाले उन्नत नस्ल के नर एवं मादा बकरियों को उनकी नस्ल, आयु, वजन एवं लिंग के आधार पर निर्धारित की गयी दरों पर पशुपालकों को सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। योजनान्तर्गत स्थापित/विस्तारीकरण/जीर्णोद्धार किये जाने वाले प्रक्षेत्र निम्न प्रकार सूचीबद्ध हैं-

1- राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, गगनपुर, एटा।
2- राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, सैदपुर-ललितपुर ।
3- राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, निबलेट बाराबंकी।
4- राजकीय भेड एवं बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, बोहदपुरा, उरई-जालौन ।
5- राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, लक्ष्मीपुर, कुशीनगर।
6- राजकीय वृहद भेड़ एवं सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसोड़ा, नौगढ़-चन्दौली।
7- राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, आटा-जालौन ।

5- <u>योजना का आच्छादन</u> :

योजना का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा तथा पूँजीगत अन्तर्गत वृहद् निर्माण कार्य, विस्तारीकरण एवं जीर्णोद्वार का कार्य संदर्भित सात राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों, राजकीय कृषि एवं पशुधन प्रक्षेत्रों में किया जायेगा। योजना का संचालन एवं पर्यवेक्षण का संम्पूर्ण उत्तरदायित्व नामित नोडल अधिकारी, अपर निदेशक ग्रेड-2 लघु पशु, मुख्यालय के अधीन होगा। योजनान्तर्गत प्रक्षेत्रों पर पाली जा रही बकरियों के स्वास्थ्य एवं उनके अनुसंधान एवं विकास तथा विभागीय कार्मिकों को प्रभावी एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

से बकरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दुवासु, मथुरा में स्थापित प्रयोगशाला का उच्चीकरण एवं 100 उन्नत नस्ल की बकरियों के स्टाक हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

6- <u>वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य</u> :

6.1 बिन्दु संख्या-4, योजना का स्वरूप में उल्लिखित राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र/राजकीय कृषि एवं पशुधन प्रक्षेत्रों में बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना तथा पूर्व से संचालित प्रक्षेत्रों का आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण एवं जीर्णोद्वार का कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के मध्य किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप कार्य वर्ष की समाप्ति पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 भूमि की उपलब्धता के अनुसार एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अनुकूलता के अनुरूप बड़ी, मध्यम एवं छोटी नस्ल की 200-500 क्षमता की पैरेन्ट स्टाक बकरियों एवं उनकी संतति की आवश्यकता के अनुरूप आवासीय शेडों एवं अन्य भवनों की व्यवस्था की जायेगी।

6.3 योजना के संचालन एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यों के सम्पादन का दायित्व अपर निदेशक ग्रेड-2 लघु पशु, मुख्यालय का होगा।

7- <u>योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी विस्तृत विवरण</u> :

7.1 निदेशालय स्तर पर अपर निदेशक ग्रेड-2 लघु पशु (पशुधन-1) प्रक्षेत्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे एवं नामित नोडल अधिकारी होंगे। योजना का संचालन प्रभारी, बकरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दुवासु, मथुरा अथवा केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मथुरा के तकनीकी सहयोग से किया जायेगा।

7.2 प्रक्षेत्र प्रबन्धक/अधीक्षक, दिशा निर्देशों एवं कार्य योजना के अनुरूप संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे तथा आवश्यकतानुसार प्राविधानित धनराशि की माँग आहरण वितरण अधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। जिन प्रक्षेत्रों पर प्रक्षेत्र प्रबन्धक/अधीक्षक का पद स्वीकृत नहीं है वहाँ प्रक्षेत्र संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।

7.3 कार्य योजना एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप बकरी प्रजाति का चयन, क्रय, विचयन, बिक्री का निर्णय, निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र द्वारा गठित कार्यकारी समिति के द्वारा जिसमें सदस्य के रूप में प्रभारी, बकरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दुवासु, मथुरा अथवा केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मथुरा अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की देखरेख में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7.4 प्रक्षेत्र की स्थापना एवं संचालन वैज्ञानिक विधियों से किया जायेगा तथा सम्पूर्ण डाटा रिकार्डिंग इत्यादि का कार्य प्रक्षेत्र प्रबन्धक/अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

7.5 प्रक्षेत्र पर संचालित प्रजनन से उत्पन्न संतति का एक वर्ष तक की आयु का डाटा रिकार्डिंग नियमित रूप से की जायेगी तथा संतति एवं बकरा/बकरियों की ग्रेडिंग की जायेगी, जिसके आधार पर मूल्यांकन कर बिक्री/आवंटन का कार्य किया जायेगा। संतति का डाटा रिकार्डिंग में जन्म तिथि, जन्म के समय वजन, ऊँचाई के साथ वजन एवं ऊँचाई में मासिक वृद्धि दर, लम्बाई (पोल से पूँछ की जड़ तक) का रिकार्ड संरक्षित रखा जायेगा।

छः सप्ताह की उम्र में इयर टैगिंग की जायेगी। जन्म से छः सप्ताह तक गले में अस्थाई टैग नं० लटकाया जाये। प्रक्षेत्र में पाली जा रही बकरियों को उनके डाटा के आधार पर चार समूहों में वर्गीकृत किया जायेगा-

1-उच्च प्रजनन क्षमता (बच्चा देने का अंतराल एवं पैदा बच्चों की संख्या के आधार पर)
2-उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता (प्रति ब्यात कुल दुग्ध उत्पादन के आधार पर)
3-शारीरिक विकास दर (गर्भावस्था से पूर्व के रिकार्ड के आधार पर)
4-कम उत्पादक पशु (उपरोक्त सभी के आधार पर)

नर बकरों को उनके एक वर्ष तक के डाटा के आधार पर प्रजनन के लिये चयनित किया जायेगा।

7.6 प्रक्षेत्रों पर कम उत्पादक बकरे/बकरियों को समय समय पर उनकी ग्रेडिंग के आधार पर स्क्रीनिंग कर आवंटित किया जायेगा तथा प्रक्षेत्र पर उत्पन्न संतति में से उत्कृष्ट गुणों वाले बकरे/बकरियों का चयन कर पैरेन्ट स्टाक में सम्मिलित किया जायेगा।

7.7 प्रक्षेत्र पर पाली जा रही बकरियों में वैज्ञानिक विधियों से विगत डाटा के आधार पर प्रजनन कराया जायेगा तथा प्रत्येक स्थिति में इनब्रीडिंग से बचाव किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग भी उचित होगा।

7.8 प्रक्षेत्र की कृषि योग्य भूमि पर चारा उत्पादन कर साइलेज निर्माण, यूरिया ट्रीटमेंट एवं अन्य वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर पौष्टिक चारा उत्पादन भी किया जायेगा।

7.9 प्रत्येक संतति को 9-12 माह की आयु तक प्रक्षेत्र पर संरक्षित किया जायेगा तथा 9-12 माह की आयु पर समिति द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य पर बकरी पालकों को प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर आवंटित किया जायेगा। आवंटन के लिए पृथक से आवंटन आवेदन पत्र बनाया जायेगा जिस पर क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य पशु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चिकित्साधिकारी द्वारा सहमति होने पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर अपर निदेशक ग्रेड-2 लघु पशु, मुख्यालय द्वारा आवंटन की अनुमति दी जायेगी।

7.10 प्रत्येक प्रक्षेत्र पर एक गोट मार्ट की स्थापना की जायेगी, जिसमें आगन्तुक पशुपालकों के बैठने की उचित व्यवस्था, वैज्ञानिक बकरी पालन की सूचनाओं का प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं आवंटन योग्य उपलब्ध बकरे/बकरी का प्रदर्शन तथा प्रक्षेत्र पर पाली जा रही बकरी नस्लों के बारे में विस्तृत सूचनाएं प्रदर्शित की जायेंगी।

7.11 प्रक्षेत्र पर पाली जा रही बकरे/बकरियों की चिकित्सा, टीकाकरण एवं कृमिनाशक दवापान की उचित व्यवस्था कराना, साइलेज निर्माण, बकरी मार्ट का संचालन, बकरी दुग्ध प्रसंस्करण इकाई एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन का उत्तरदायित्व प्रक्षेत्र प्रबन्धक/अधीक्षक/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी होगा। इस कार्य के लिए आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग पर पशु चिकित्सक, कुशल पैरावेटनरी स्टाफ, डाटा रिकार्डर, चौकीदार एवं अकुशल कार्मिकों की व्यवस्था की जायेगी।

7.12 प्रक्षेत्र पर पाली जा रही बकरे/बकरियों के राशन का प्रबन्धन, यथासम्भव आहार प्रसंस्करण इकाई की स्थापना कर ब्रीडवार, उम्र व लिंग के अनुसार दुवासु, मथुरा द्वारा सुझाये गये अनुपात में बनाया जायेगा।

7.13 प्रक्षेत्र की दुधारू बकरियों के दूध का प्रसंस्करण कर मूल्य संवर्धन करते हुए दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना पी०पी०पी० मोड पर की जायेगी एवं आगन्तुक पशुपालकों के ज्ञानवर्धन हेतु प्रदर्शनीय बनाया जायेगा।

7.14 प्रक्षेत्रों पर पशुपालकों के ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकें, पैम्पलेट, बुकलेट इत्यादि के साथ-साथ ऑडियो विजुअल तकनीक का प्रयोग भी किया जायेगा।

8- <u>योजना से सम्भावित परिणाम</u> :

योजनान्तर्गत बकरी पालकों को उन्नत नस्लों के बकरा/बकरी वितरण से सम्बन्धित क्षेत्रों में उन्नत नस्ल की अधिक उत्पादन युक्त बकरियों के प्रचार-प्रसार के साथ ही प्रशिक्षण एवं प्रसार के माध्यम से पशुपालकों का बकरी पालन में रूझान बढ़ेगा, उद्यमिता का विकास होगा, बकरी पालकों की आय में वृद्धि तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाने में सहयोग मिलेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2-    इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)**
विशेष सचिव।

पृ0सं0-118/2026/972(1)/सैंतीस-2-2026-1(27)/2025-2012567, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)**
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।